

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचि चत श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11183/2024	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
2.	11176/2024	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
3.	11175/2024	1 (a)	सतना	बॉक्साईट खदान	For ToR	स्वीकृत
4.	11181/2024	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
5.	11179/2024	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
6.	11188/2024	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
7.	11197/2024	1 (a)	नीमच	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	11190/2024	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
9.	11194/2024	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
10.	11198/2024	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
11.	11192/2024	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
12.	11180/2024	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
13.	11184/2024	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
14.	11177/2024	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

15.	11185/2024	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	11182/2024	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
17.	11189/2024	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
18.	11193/2024	1 (a)	इन्दौर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
19.	11178/2024	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
20.	P2/717/2024	8 (b)	उज्जैन	भवन निर्माण	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	P2/718/2024	8 (b)	उज्जैन	भवन निर्माण	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
22.	10169/2023	2 (a)	सिंगरौली	कोलवॉशरी	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	11218/2024	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
24.	11199/2024	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	11210/2024	1 (a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
26.	11217/2024	1 (a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
27.	11200/2024	1 (a)	श्योपुर	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	11241/2024	1 (a)	जबलपुर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	11223/2024	1 (a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	11209/2024	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
31.	11252/2024	1 (a)	धार	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
32.	11221/2024	1 (a)	श्योपुर	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
33.	11206/2024	1 (a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
34.	11239/2024	1 (a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
35.	11216/2024	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

36.	11211/2024	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
37.	11205/2024	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
38.	11322/2024	1 (a)	कटनी	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
39.	11323/2024	1 (a)	मंदसौर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
40.	11222/2024	1 (a)	दतिया	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
41.	11207/2024	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 11183/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अनीता देवी पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी बंकुआखुर्द, तहसील टहरोली, जिला झाँसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 64/2/1 भाग, ग्राम - बपरौली, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

2. प्रकरण क्र. 11176/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन आंजना आत्मज श्री शंकर सिंह आंजना, निवासी ग्राम - गुनई खालसा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 13000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 311 ग्राम - गुनईखालसा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 11175/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय राय, निवासी होटल उत्सव विलास, सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज, हिरदयपुर, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा बॉक्साइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (बॉक्साइट- 58970, लैटेराइट - 52836, ओव्हर बार्डन - 4718 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 9.049 हेक्टेयर, खसरा 64/1 ग्राम - बरुई, तहसील - मझगंवा जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


4. प्रकरण क्र. 11181/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री गगनदीप नैय्यर आत्मज स्व. श्री रमनजी सिंह, निवासी 758, मदन महल, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24637 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 49 पी, ग्राम - मानेगांव, तहसील - जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 11179/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती इन्द्रजीत कौर नैय्यर पत्नि स्व. श्री परमजीत सिंह नैय्यर, निवासी 765, मदन महल, गुप्तेश्वर वार्ड, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24538 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.73 हेक्टेयर, खसरा 53 भाग, ग्राम - मानेगांव, तहसील - जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 11188/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन बरसैया, निवासी 2283, मदन महल, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.72 हेक्टेयर, खसरा 105, ग्राम - धाधरा, तहसील - जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 11197/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रुप कच्छावा, निवासी बास गडी कुवा जिला नागौर (राज.) द्वारा पत्थर एवं एम-सैण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1248 ग्राम - फुसरिया, तहसील - सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 20 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

8. प्रकरण क्र. 11190/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एकता कंस्ट्रक्शन प्रो. श्री रेहान खान, निवासी ग्राम सागौर, तहसील - धार, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 648 ग्राम - खण्डवा, तहसील - धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज के बाहर खुदे हुए क्षेत्र के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ समावेश की जाये।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


9. प्रकरण क्र. 11194/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रियाज खान आत्मज श्री निसार अहमद, निवासी ग्राम सागौर, तहसील व जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20580 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा 648, ग्राम - खण्डवा, तहसील - धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज के बाहर खुदे हुए क्षेत्र के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 11198/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पीताम्बरा ग्रिड इण्डस्ट्रीज, पार्टनर श्री धीरज गर्ग, निवासी एफ - 29, गांधी नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3624/1 ग्राम - बिलौआ, तहसील - डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित पक्की सड़क एवं नहर से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11192/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश भामर (उर्फ गलिया) आत्मज श्री बचना भामर, निवासी 188, कालीबिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 162,163,164 ग्राम - कल्याणखेड़ी, तहसील - धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 11180/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मां शारदा माइनिंग एंड केशिंग कंपनी, पार्टनर श्री अमर मिश्रा, निवासी मण्डला रोड़, सांलीवाड़ा जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 29791 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 294 पी ग्राम - जमुनिया, तहसील - जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

13. प्रकरण क्र. 11184/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति ममता यादव पत्नि श्री कमल सिंह यादव, निवासी ग्राम बंकुवाखुर्द, तहसील टहरौली, जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 66/1 पी ग्राम - बपरौली, तहसील - निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 11177/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सिंह आत्मज श्री गुलाब सिंह, निवासी ग्राम बंकुवाखुर्द, तहसील टहरोल, जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 64/2/1 पी, ग्राम – बपरोली, तहसील –निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 11185/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रामकुमार सिंह आत्मज स्व. श्री कल्याण सिंह, निवासी 46, शिवाजी नगर, थाटीपुर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.345 हेक्टेयर, खसरा 4154 पी ग्राम – पारसेन, तहसील –ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यायलीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 11182/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री द्वारका मिश्रा आत्मज स्व. श्री एस.एस. मिश्रा, निवासी 1818/ए, गुप्तेश्वर, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24980 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 90, ग्राम - घाघरा, तहसील - जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज के बाहर खुदे हुए क्षेत्र के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 11189/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री द्वारका मिश्रा, निवासी 1818/ए, गुप्तेश्वर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 58462 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.55 हेक्टेयर, खसरा 86, ग्राम - घाघरा, तहसील - जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज के बाहर खुदे हुए क्षेत्र के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 11193/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रईस खान आत्मज श्री बहाव खान, निवासी 125, छोटी सागोर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर - 12610 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डन - 2522 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.78 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम - रावद, तहसील - देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- I. परियोजना प्रस्तावक प्रतिबद्धता अनुसार प्रकरण में खनन कार्य हेतु ब्लॉस्टिंग नहीं करेगा अपितु रॉक ब्रेकर का उपयोग करेगा। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये एवं इसकी जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में भी समाहित की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।


19. प्रकरण क्र. 11178/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एम. स्टोन्स, पार्टनर श्री संदीप सूद, निवासी 37, रोहित नगर, फेस -1, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 74480 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 125/87, 126/87, ग्राम - बामलादढ़, तहसील - इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

20. **Case No P2/717/2024:** Prior Environment Clearance for an area development project "Town Development Scheme [TDS-03/2022]" located at villages: - Nimanwasa, Dhattrawada, Nagjhiri & Lalpur, Ujjain (MP).. Total area - 1249310.00 Sq.m (124.931 Ha.), out of which 1148830.00 Sq.m (114.883 ha.) is the proposed total scheme reconstituted land by Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP)456010email: [ujjaindevelopmentauthority@gmail.com](mailto:ujjaindevelopmentauthority@gmail.com) Mob: 9827766993. Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR

1. उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा, धतरावदा, नागझिरी और लालपुर, उज्जैन (एमपी) में नगर विकास योजना (टीडीएस-03/2022) को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1249310.00 वर्गमीटर (124.931 हेक्टेयर) है, जिसमें से 1148830.00 वर्गमीटर (114.883 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstituted land) है।
2. चूंकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8(बी) की श्रेणी बी1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।
3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरणपृष्ठ क्र. 96 से 98 तक अंकित है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 744 वीं दिनांक 29.04.2024 की अनुशंसा उपरांत प्रकरण पर प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि गूगल इमेज से प्रतीत हो रहा है, कि परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, SEAC द्वारा प्रकरण को ToR स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है परन्तु निर्माण के सम्बन्ध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है, अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को violation सम्बन्धित पुष्टिकरण हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।


21. **Case No P2/718/2024:** Prior Environment Clearance for an area development project "Town Development Scheme [TDS-04/2022]" located at villages: - Nimanwasa, & Kothimahal, Ujjain (MP). The total area of scheme is 1194430 sq.m. (119.443 Ha.), out of which 1152810 sq.m. (115.281 Ha.) is the proposed total scheme reconstituted land by Shri Rakesh Gupta, EE, Ujjain Development Authority [TDS-03/2022] (MP)456010 email: [ujjaindevelopmentauthority@gmail.com](mailto:ujjaindevelopmentauthority@gmail.com) Mob: 9827766993.Cat. 8(b) Townships/ Area Development Projects. TOR


1. उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण, द्वारा उज्जैन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत ग्राम निमनवासा और कोठीमहल, उज्जैन (एमपी) में नगर विकास योजना (टीडीएस-04/2022) को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 1194430.00 वर्गमीटर (119.443 हेक्टेयर) है, जिसमें से 1152810.00 वर्गमीटर (115.281 हेक्टेयर) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल पुनर्गठित भूमि (Reconstitutedland) है।
2. चूंकि परियोजना का पुनर्गठित भूखंड क्षेत्र 50 हेक्टेयर से अधिक है, अतः ईआईए अधिसूचना एस.ओ. क्रमांक 1533 (ई) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार यह परियोजना अनुसूची 8(बी) की श्रेणी बी1 "टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ" के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किया जाना है।
3. SEAC की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 98 से 102 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 744 वीं दिनांक 29.04.2024 की अनुशंसा उपरांत प्रकरण पर प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि गूगल इमेज से प्रतीत हो रहा है, कि परियोजना स्थल पर कुछ निर्माण पूर्व से ही किये गए हैं, जिसके सम्बन्ध में SEAC बैठक के कार्यवाही विवरण में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को violation सम्बन्धित पुष्टिकरण हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।

22. **Case No 10169/2023:** Prior Environmental clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet Type (Heavy Media) Coal washery plant, area 17.477 ha Khasra no.784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023,

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

1025 Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh by Shri Pawan Kumar Agrawal, Director, M/s Pawsun Industries Pvt. Ltd. Flat No. 105A, Bashed Ahmed Complex, Link Road, Bilaspur (CG)- 495001, Mob: 9755140000 email: info.pawsunindustries@gmail.com Env't. Consultant : M/s Pioneer Enviro Laboratories and Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad Category- 2(a).EC

1. उक्त प्रस्तावित परियोजना मेसर्स पावसन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा (खसरा नंबर 784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025) ग्राम-गोंदवाली, तहसील -देवसर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) में 2.48 एमटीपीए वेट प्रकार (हैवी मीडिया) के उत्पादन के लिए कोल् वाशरी प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. प्रस्तावित परियोजना के लिए गोंदवाली गांव स्थित एवं जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश हेतु 17.477 हेक्टेयर (43.18 एकड़) लैंड मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीआईडीसीएल) से कार्यालय आदेश एमपीआईडीसी/47/भूमि/2023/4027 भोपाल दिनांक. 10.05.2023 एवं लीज डीड दिनांक. 28.06.2023 के अनुसार 99 साल के लिए लीज पर ली गई है।
3. कुल 17.477 हे. में से 11.819 हे. (29.20 एकड़) प्रस्तावित 2.48 एमटीपीए कोल वाशरी के लिए और 5.658 हेक्टेयर (13.98 एकड़) प्रस्तावित रेलवे साइडिंग के लिए निर्धारित है।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ईआईए अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार सभी कोल् वाशरियां जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 एमटीपीए से नीचे है, इस प्रकार की यूनिट को गतिविधि 2(ए) की श्रेणी 'बी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और इस प्रकार के परियोजनाओं को राज्य स्तर पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA द्वारा विचार किया जाता है।
5. परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :-

S.No.	Unit	Production Capacity
1.	Coal Washery (Wet Type - Heavy media cyclone type)	2.48 MTPA (throughput)

6. SEAC की 665 वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 802 वीं बैठक दिनांक 24.08.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 1398 दिनांक 18.09.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
7. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 744 वीं दिनांक 29.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 102 से 120 तक अंकित है।
8. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/CMIN/468730/2024
Date of submission of application	08 .04. 2024
Date of Public Hearing	28.12.2024
Date of grant of ToR	18.09.2023
Case Considered in SEAC meeting for EC	744 mtg dtd. 29.04.24
Location of the Project	24°12'57.45"N 82°30'2.59"E 24°12'59.39"N 82°30'12.54"E
Description of the project	This is case of Prior Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 17.477 ha Khasra no. 784, 786, 787, 788, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025 Gondwali Village, Deosar Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh. The project is categorized as category-B, 2(a) activity.
National Park / Wild life sanctuary / Biosphere reserve / Tiger Reserve / Elephant Corridor / migratory routes for Birds	No within 10 Km. Radius.
Railway Station: Nearest Airport:	Railway Station –Gondwali RS (E Direction, 0.5 Kms.) Airport –No within 10 Km. Radius.
Forests	Mohanban RF (SSW Direction, 7.1 Kms.), Muher RF (SE direction, 7.2 Kms.), Teldah PF (SE Direction, 2.8 Kms.), Parari PF (SE Direction, 5.5 Kms.), Chokra PF (SE Direction, 7.8 Kms.), Orgari PF (N Direction, 2.8 Kms.), Uska PF (NE Direction, 2.5 Kms.), Parihasi PF (NW Direction, 6.5 Kms.), Pokhra PF (N Direction, 6.0 Kms.)
Water body	Balugarh Pond (SW Direction, 2.4 Kms.) Kanchan Nallah (S Direction, 7.0 Kms.) Manihari Reservoir (SW Direction, 9.0 Kms.)
Production capacity	2.48 MT per Anum
Total Water Consumption	Water requirement for the proposed project is 415 KLD (400 KLD for Process and 15 KLD for Domestic purpose).
Source of Water Supply	The water requirement for the proposed project will be sourced from Ground water source. Water drawl permission from Central Ground Water Authority will be obtained.

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

Waste Water Generation	The proposed plant is based on zero liquid effluent discharge plant and the process selected ensures minimum generation of dust. Closed loop water system will be implemented in coal washery. Hence there will not be any waste water discharge from process and cooling. • As it is proposed to install Heavy media-based Coal Washery, in which water after washing of coal (waste water) will be recycled back. • The efficiency of settling pond of the waste water system will be 95 %.
RAW MATERIALS	Coal will be sourced from Singrauli Coal Fields areas and other mines.
RWH	Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.
Solid & hazardous waste management	Washery reject will be generated from the proposed coal washery. It is envisaged that about 0.744 MTPA of Washery Rejects will be generated. Hazardous waste in the form of used batteries and waste oil from standby DG Set will be properly stored and sold to authorized vendors. The hazardous waste is being disposed through the MPPCB approved /authorized recyclers/Pre-processors/TSDf site.
Green belt (sq.m)	PP submitted that total 10000 trees are proposed for plantation within plant premises and outside boundary.
CER Cost	Under CER activity, capital cost is Rs. 20.50 lakhs proposed for different activities. ➤ PP further submitted that Rs. 3.0 lakhs shall be allocated to the DFO, Singrauli to for awareness programme for Mahua & other "minor forest produce" for trading, processing, and included in CER. ➤ PP further submitted that Rs. 10.0 lakhs shall given to Sanjay Gandhi National Park for improvement for habitation and reducing carbon foot print. We will also distribute LED light in nearby area of amounting 1.0 lakh.
Estimated Project Cost	The project cost envisaged for the proposed project is Rs. 63.98 Crores
EMP Cost	PP has proposed Capital cost Capital cost Rs.2.46 Crore and Rs. 23.00 Lakhs Lakhs As recurring cost under EMP.
<b>Documents submitted by PP</b>	
Water Supply	Application has been submitted to CGWA for Water drawl permission from Ground Water.
Landownership	Lease deed executed between M/s Pawsun Industries Pvt. Ltd. and MPIDCL
DFO NOC	Submitted
Inter State Boundary details	Submitted
Envt. Consultant Authorization	affidavit submitted
Declaration	No Construction/production Activity started at site

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

CTO/CTE	affidavit submitted The MPPCB has also accorded the consent to establish (CTE) vide their letter no. 118551 dated 26/07/2023.
---------	--

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा कुल भूमी के 4.0 हेक्टर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। एवं वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाये जायेंगे। परिसर एवं कोलार्ड पर जल का निरंतर जल छिड़काव, सभी कोल ट्रांसफर प्वाइंट पर डस्ट कलेक्टर एवं बैग हाउस लगाया जायेगा, प्लान्ट परिसर के चारो ओर 6 फुट उची वाऊंड्री वाल का निर्माण किया जायेगा। यह एक शून्य निस्त्राव प्लान्ट रहेगा एवं किसी भी प्रकार का दूषित जल उद्योग परिसर के बाहर नही जायेगा।
10. इसके अलावा SEAC की बैठक के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कमिटमेंट किया गया की महुआ और अन्य "लघु वन उपज" के व्यापार, में जागरूकता कार्यक्रम के लिए सीईआर के अंतर्गत डीएफओ, सिंगरौली को 3.0 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे।
11. साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवास सुधार और कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को 10.0 लाख रुपये दिए जाने एवं आसपास के क्षेत्र में 1.0 लाख की लागत से एलईडी लाइट भी वितरित करने की सहमति भी दी गई SEAC द्वारा निहित शर्तों में इस प्रावधान को नहीं शामिल किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 10.03.24 के माध्यम से सामाजिक कार्यों एवं वृक्षारोपण के अनुपालन के संबंध में निम्नानुसार प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है :-

"This is reference to the above subject, I undersigned hereby confirming the following: -

1. That the activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained.
2. Entire plantation in area of 4.0 ha shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with Causality replacement.
3. Plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रेषित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 744 वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xvi अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (SEIAA की 849 वीं बैठक दिनांक 29.04.2024 परिशिष्ट -1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार कुल भूमी के 4.0 हेक्टर पर वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे शामिल करें। परिसर एवं कोलार्ड पर जल का

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- निरंतर जल छिड़काव, सभी कोल ट्रांसफर प्वाइंट पर डस्ट कलेक्टर एवं बैग हाउस लगाया जाना, प्लान्ट परिसर के चारों ओर 6 फुट उची वाळुँडी वाल का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।
- ii. जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार प्लान्ट पूर्ण रूप से शून्य निस्त्राव प्लान्ट ही रहे किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का दूषित जल उद्योग परिसर के बाहर नहीं जाना सुनिश्चित करें।
  - iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के साथ ही प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्री के किनारे तीन कतारों में वृक्षों की उन प्रजाति का चयन कर सघन वृक्षारोपण किया जावे, जिनमें प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता हो। रोड के साइड dense प्लांटेशन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्र दिनांक 10.03.24 के माध्यम से सामाजिक कार्यों एवं वृक्षारोपण के अनुपालन के संबंध में की गई प्रतिबद्धता का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
  - iv. परिसर के पास स्थित habitation को प्रदूषण के प्रभाव से रोकने हेतु habitation एरिया के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।
  - v. SEAC की बैठक के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार महुआ और अन्य "लघु वन उपज" के व्यापार, में जागरूकता कार्यक्रम के लिए सीईआर के अंतर्गत डीएफओ, सिंगरौली को 3.0 लाख रुपये आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।
  - vi. साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवास सुधार और कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को 10.0 लाख रुपये दिए जाने एवं आसपास के क्षेत्र में 1.0 लाख की लागत से एलईडी लाइट भी वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।
  - vii. वाशरी साइट पर इसके पर्यावरणीय प्रभावों के दृष्टिगत साइट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए कोयले को खदान से यूनिट तक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ले जाने हेतु उचित प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें।
  - viii. वाशरी यूनिट की प्रणाली closed रखें और यूनिट में जीरो डिस्चार्ज मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्टॉर्म वाटर का प्रबंधन के उचित हेतु उचित उपाय करें।
  - ix. यूनिट की उत्पादन क्षमता को बनाये रखने के लिए उस उत्पादन क्षमता की कोल् लिंकेज हेतु सम्बंधित कंपनी से MoU / Agreement सम्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें करे।
  - x. भू जल की निर्भरता को काम करने हेतु जल संरक्षण की प्रस्तावित विधियों एवं रिचार्जिंग हेतु किये गए उपायोंका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
  - xi. पर्यावरणीय प्रभावों के उचित मूल्यांकन के लिए आधुनिक उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करे।
  - xii. परियोजना प्रस्तावक ईंधन के रूप में केवल प्राकृतिक गैस जैसे पीएनजी/सीएनजी, एलपीजी, बायो गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग को ही शामिल करे।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- xiii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO<sub>2</sub> उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप सेकी जानी चाहिए।
- xiv. प्रस्तावित इकाई से प्रक्रिया उत्सर्जन (process emission) केनियंत्रण की उचितव्यवस्था की जानी चाहिए।
- xv. नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए परियोजना का cost benefit analysis की जानी चाहिए।
- xvi. डस्ट emissionको कम करने के लिए प्लांट की 500 मीटर की आंतरिक सड़कों और कोयला भंडारण यार्ड क्षेत्र को उचित रूप से कंक्रीट/पक्का किया जाना चाहिए।

23. प्रकरण क्र. 11218/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अन्नपूर्णा ठाकुर पत्नि श्री दिनेश ठाकुर, निवासी- नियर चर्च, गंगा आश्रम जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 27930 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 56/1, ग्राम - हसनाबाद, तहसील - सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान से 85 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मछली पालन फार्म स्थित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


24. प्रकरण क्र. 11199/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रामेश्वर यादव आत्मज श्रम इमरतलाल यादव, निवासी ग्राम - सेमरी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 31/1, ग्राम - सेमरी, तहसील - रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर का पत्र क्रं 1577 दिनांक 14.12.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 13.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 11210/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रामनिवास कुशवाह आत्मज श्री रामपथ कुशवाह, निवासी- पंचव्हेली स्कूल, के पास, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 341/2, 341/3, ग्राम - साजकुही, तहसील - तामिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान से 100 मीटर की दूरी पर कच्चे घर एवं लीज क्षेत्र से लगी हुई कच्ची सड़क परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार कच्चे घरों से निर्धारित 200 मीटर दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रपिहित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

26. प्रकरण क्र. 11217/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक सोलंकी आत्मज श्री देवीसिंह सोलंकी, निवासी - म.नं. 403, वार्ड नं. 11, बस स्टैण्ड के पास, ग्राम - धुलकोट, तहसील नेपालगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.150 हेक्टेयर, खसरा 534, ग्राम - इटारिया, तहसील नेपालगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान से आबादी 54 मीटर की दूरी पर परिलक्षित है एवं लीज क्षेत्र में कई पेड़ परिलक्षित है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही आवेदन के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अनापत्ति भी काफी पुरानी है। मांननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार मकानों से निर्धारित 200 मीटर दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 11200/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र राजौरिया आत्मज श्री रामगोविन्द राजौरिया, निवासी- वार्ड नं. 03, अलापुर रोड़, रेमजा का पुरा, जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 5, 6 ग्राम - चन्देरी, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्रं 17764-65 दिनांक 26.12.2022 के माध्यम से दिनांक 13.02.2022 से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 12.02.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 11241/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिकेत सिंह आत्मज श्री सुनील सिंह, निवासी-123, वार्ड नं. 03, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 491, ग्राम - गंगई, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (v) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर का पत्र क्रं 3953 दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से 05 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 23.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 11223/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद साहू आत्मज श्री नेमचंद साहू, निवासी- गाड़ासराई, तहसील - बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3420 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम - रतना माल, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी का आदेश क्रं 206 दिनांक 27.08.2016 एवं लीज निष्पादन अनुबंध दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से दिनांक 06.04.2017 से 05.04.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 05.04.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11209/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश कुमार शिवहरे आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद शिवहरे, निवासी- 81, ग्राम पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25124 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 639/1, ग्राम-पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"...SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत आवंटित खनन क्षेत्र में कुल 15 पेड लगे हैं जो काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 150 अतिरिक्त पेड लगाये जायेंगे।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।


31. प्रकरण क्र. 11252/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अतुल मण्डलोई आत्मज श्री नरेन्द्र मण्डलोई, निवासी - श्री कृष्णा बाजार, दिग्ठान, तहसील व जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.20 हेक्टेयर, खसरा 642 पेकी, ग्राम - खण्डवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क्रं 1847 दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 09.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले उत्तर दिशा में स्थित पक्का ढांचा से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संचक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 09 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 90 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


32. प्रकरण क्र. 11221/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री गुरुदास सिंह आत्मज श्री दलबीर सिंह, निवासी- सोईकलॉ, तहसील- श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 980 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1281, 1284 ग्राम - सोईकलॉ, तहसील- श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर का आदेश क्रं 3155 दिनांक 22.05.2015 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 21.05.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाली बरा से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 11206/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री आशू खान आत्मज श्री इरफान खान, निवासी-अकबर कालोनी, टाउन - खामेरा, तहसील - सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 13775 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.619 हेक्टेयर, खसरा 30/8, 30/9/2, ग्राम - खमेरा, तहसील- सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान DEIAA से स्वीकृत थी जिसमें लीज क्षेत्र में खुदाई न करते हुए लीज क्षेत्र के बाहार खुदाई परिलक्षित हो रही है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 11239/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री शिवनारायण मालवीय आत्मज श्री रूखडुसाजी मालवीय, निवासी - लोगसरी, तहसील - कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 206, 207, 208, ग्राम - उण्डली, तहसील- कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का पत्र क्रं 1326 दिनांक 01.07.2017 एवं लीज अनुबंध निष्पादन दिनांक 11.09.2017 से दिनांक 01.09.2017 से 31.08.2027 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 31.08.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 09 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 90 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

35. प्रकरण क्र. 11216/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती उर्मिला पटैरिया पत्नि श्री देशराज पटैरिया, निवासी- हनुमान टोरिया के पीछे, वार्ड नं. 39, वकायन मार्ग, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17140 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 270, ग्राम - देवकुलिया, तहसील- राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्रं 4262-63 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से दिनांक 01.09.2020 से 10 वर्ष तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 31.08.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 11211/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति नंदिनी पुलोरिया पत्नी श्री विकास पुलोरिया, निवासी 07, महाडसिंहपुरा, हवेली मार्ग, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 15, ग्राम - रणगांव, तहसील- खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वी-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान DEIAA से स्वीकृत थी जिसमें लीज क्षेत्र के बाहर 0.75 हेक्टेयर में अवैध उत्खनन परिलक्षित हो रहा है जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


37. प्रकरण क्र. 11205/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अंतिम पाटीदार आत्मज श्री मोहनलाल पाटीदार, निवासी - सूरजनगर, सुखपुरी, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 13/2/1, ग्राम - हसनगांव, तहसील- खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगोन का आदेश क्रं 1197 दिनांक 25.01.2020 के माध्यम से 10 वर्ष तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 24.01.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 11322/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महालक्ष्मी माइन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री तिलक राज गोवर, निवासी- वार्ड नं. 04, खलवारा बाजार, कैमूर, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22739 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 2/1, एवं 2/2 पी, ग्राम - जाजागढ़, तहसील-बरही, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 22 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 11323/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मातादी फर्टिलाइजर, प्रो. श्री घनश्याम पाटीदार, निवासी चांदाखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम - सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ( पत्थर 5000 एवं एम- सेण्ड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 36, ग्राम - अरनियागुर्जर, तहसील- मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 11222/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोमती इन्फ्रा एण्ड माइनिंग प्रा.लि., पार्टनर श्री अरविन्द कुमार, निवासी- म.नं. 3/777, वस्तु खण्ड - 3, गोमती नगर, जिला लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा ग्रेनाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 142500 MTPA रकबा 17.93 हेक्टेयर, खसरा 219, ग्राम - सुनार, तहसील- दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना अनुसार यह प्रकरण ग्रेनाइट खदान का है, जिसे सेक के कार्यवाही विवरण में संशोधित किया जाये एवं प्रकरण में ऑनलाईन अपलोडेड ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव काफी पुराना है जिसे अद्यतन करवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कराया जाये। एवं लीज क्षेत्र में परिलक्षित पेड़ों के संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में नवीन ग्राम पंचायत का नवीन ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर व लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों के संबंध में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

41. प्रकरण क्र. 11207/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति रेखा शुक्ला पत्नि श्री राजेश शुक्ला, निवासी- साई संकल्प अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 401, किलकरी अस्पताल के पास, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.576 हेक्टेयर, खसरा 2653, 2637/मिन - 2, 2637/मिन - 3, 2637/मिन - 4, 2637/मिन - 5, 2636, 2635/1, ग्राम - बिलौआ, तहसील- डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854वीं-B बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 745वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष